समाहरणालय, दरभंगा।
(जिला पंचायत शाखा)
–आदेश–

पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो), पटना के ज्ञापांक 1476/अ0शा0, दिनांक 01.12.08 से प्राप्त सूचना अनुसार श्री रामपुकार महतो, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–राढ़ी पूर्वी, प्रखंड–जाले को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक 27.11.2008 को 2000/–(दो हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक 13/जि0पं0, दिनांक 10.01.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के कंडिका–9(1)(ग) के आलोक में गिरफ्तार होने की तिथि 27.11.08 के प्रभाव से निलम्बित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1569/अ0शा0, दिनांक 18.12.08 के साथ प्राप्त अनुसंधानक का अनुसंधान प्रतिवेदन जो निगरानी थाना कान्ड सं0–102/08, दिनांक 27.11.08 धारा–07/13(2) सह पठित धारा–13(1)(D) भ्र0नि0अधि0–1988 प्राथमिकी अभियुक्त श्री रामपुकार महतो, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–राढ़ी पूर्वी, प्रखंड–जाले से संबंधित है, में पुलिस उपाधीक्षक–सह–धावादल प्रभारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना कैम्प, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन तथा प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरान्त धारा–07/13(2) सह पठित धारा–13(1)(D) भ्र0नि0अधि0–1988 के अर्न्तगत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 07/विधि, दिनांक 06.01.09 के द्वारा आरोपी श्री महतो के विरूद्ध अभियोजन चलाने का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

उपरोक्त कृत्य के लिए श्री महतो के विरूद्ध प्रपत्र "क" में आरोप गठित करते हुए आदेश ज्ञापांक 168/जि0पं0, दिनांक 09.02.12 के द्वारा निदेशक, लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले को उपस्थापन पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। प्रपत्र "क" में गठित आरोप निम्नवत् है :–

" बिहार सरकार, निगरानी विभाग से प्राप्त सूचना ज्ञापांक 1476/अप0शा0, दिनांक 01.12.08 के अनुसार परिवादी श्री राजा राम महतो, पे0 स्व0 जगदेव महतो, ग्रा0–ततैला, थाना–कमतौल की पत्नी कुमारी मनीषा सिन्हा, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, मुसहरी टोल प्रखंड–जाले, जिला दरभंगा से उनके बकाया मानदेय भुगतान के लिए आरोपी श्री रामपुकार महतो पंचायत सचिव, राढ़ी पूर्वी, प्रखंड–जाले के रूप में दिनांक 27.11.08 को 2000/–(दो हजार) रूपये रिश्वत लिया है। यह सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध है। इस पर निगरानी थाना कान्ड सं0 102/08, दिनांक 27.11.08 धारा–07/13(2) सह पठित धारा–13(1)(D) भ्र0नि0अधि0–1988 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया गया"।

तत्पश्चात् जमानत पर रिहा होने के फलस्वरूप आरोपी श्री महतो दिनांक 06.03.10 के पूर्वाह्न में प्रखंड कार्यालय, जाले में योगदान हेतु आवेदन समर्पित किये। प्रखंड विकास

पदाधिकारी, जाले के पत्रांक 173 दिनांक 21.01.14 के द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्री महतो 06.03.10 के पश्चात् अद्यतन तक प्रखंड कार्यालय, जाले में कभी उपस्थित नहीं हुए।

निदेशक, लेखा, ग्रामीण विकास–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 121/जि0ग्रा0, दिनांक 20.01.14 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि " आरोपी द्वारा इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनके द्वारा 24.11.08 को ही चेक मनीषा सिन्हा को दिया। साक्ष्य के रूप में कोई प्राप्ति रसीद नहीं दिया गया जबकि धावादल प्रभारी के प्रतिवेदन से यह विदित होता है कि धावा के दिन दिनांक 27.11.08 को ही श्रीमती सिन्हा से 2000/–(दो हजार) रूपये रिश्वत लेकर आरोपी श्री महतो ने चेक दिया। धावादल द्वारा इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत भी किया गया। इस प्रकार विवेचना के आधार पर आरोपी का स्पष्टीकरण साक्ष्य के अभाव में मानने योग्य नहीं है तथा उन पर लगाया गया रिश्वत लेने का आरोप सही प्रतीत होता है।"

आरोपों के प्रमाणित पाये जाने तथा इस आधार पर वृहद दण्ड योग्य कदाचार को दृष्टिपथ रखते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 109/जि0पं0, दिनांक 27.01.14 के द्वारा दिनांक 03.02.14 की तिथि निर्धारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने एवं अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। सुनवाई की तिथि को आरोपी कर्मी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष द्वितीय स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुए, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। आरोपी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में अपने आप को निर्दोष बताया गया और अपने पक्ष में मौखिक एवं लिखित रूप से बताया गया कि चेक संख्या 857586 दिनांक 12.09.08 राशि 12,000/– एवं चेक सं0 857595 दिनांक 27.09.2008 राशि 16,000/– चेक तैयार कर प्राप्ति हेतु पंचायत शिक्षिका कुमारी मनीषा सिन्हा को चेक प्राप्ति हेतु निदेश दिया गया था परन्तु वे नहीं आयी तथा पुन : दिनांक 24.11.08 को शिक्षिका श्रीमती सिन्हा अपने पति के साथ उनके कार्यालय में आयी और चेक प्राप्त कर ली। बाद में 27.11.08 को श्रीमती सिन्हा के पति उनके आवासीय डेरा, कमतौल में मो0 2000/– रूपये जबरदस्ती उनके जेब में घुसा दिया अर्थात् उन्होंने रिश्वत लेने के आरोप को अपने विरूद्ध कुछ लोगों के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फँसाने का षड्यन्त्र बताया।

उपरोक्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की सम्पुष्टि में आरोपी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मो0 12,000/– एवं 16,000/– रूपये का चेक प्राप्ति हेतु शिक्षिका को सूचना किस पत्र के माध्यम से दिया गया था। साथ ही अगर चेक बनाकर शिक्षिका को 24.11.08 को ही हस्तगत कराया गया तो चेक की प्राप्ति रसीद कहाँ है ? आरोपी द्वारा चेक की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की जा सकी अर्थात् श्री महतो अपने को आरोप मुक्त साबित करने में असफल रहे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गलत मंशा के साथ इनके द्वारा उक्त शिक्षिका को चेक रोक कर रखा गया तथा इस सिलसिले में वे 2000/– रूपये का घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए जो बिहार राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के तहत गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

रिश्वत लेने वाले मामले की सुनवाई के क्रम में संचिका अवलोकन से पाया गया कि श्री महतो के विरूद्ध दो अन्य विभागीय कार्यवाही भी संचालित की गई है :–

प्रथम विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत श्री महतो को सांसद/विधायक ऐच्छिककोष योजना अन्तर्गत वर्ष 1995–1996 के विरूद्ध अग्रिम राशि 1,01,303/–(एक लाख एक हजार तीन सौ तीन) रूपये

अस्थायी गबन करने के आरोप में आदेश ज्ञापांक 915/स्था0, दिनांक 12.06.2002 के द्वारा निलम्बित किया गया था तथा प्रपत्र "क" में गठित आरोपों के जाँचोपरान्त 25,000/– रूपये अस्थायी गबन का आरोप संचालन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी(श्री नवीन चन्द्र झा) द्वारा प्रमाणित पाया गया एवं जिसके उपरान्त उक्त 25,000/– की राशि उनके द्वारा नाजीर रसिद सं0 526573 दिनांक 09.02.2006 के माध्यम से प्रखंड कार्यालय, कुशेश्वरस्थान पूर्वी में जमा भी किया गया। अर्थात् आरोपी के विरूद्ध जाँच के क्रम में अस्थायी गबन का यह आरोप प्रमाणित पाया गया।

द्वितीय विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत आदेश ज्ञापांक 596/जि0पं0, दिनांक 11.06.10 के द्वारा प्रपत्र "क" गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें आरोप हैं कि ग्राम पंचायत–कमतौल, प्रखंड–जाले के प्रभार में रहते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा जाँच के क्रम में श्री महतो द्वारा उन्हें पंचायत राज–कमतौल के–

1. नरेगा योजना का रोकड़ पंजी, अभिलेख, पासबुक।
2. एकादश वित्त आयोग का रोकड़ पंजी एवं योजना अभिलेख।
3. पिछड़ा अनुदान योजना का 01.08.09 से पूर्व की पंजी तथा
4. द्वादश वित्त आयोग का योजना सं0 1/2007–08, 2/07–08, 3/07–08 का अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं कर वित्तीय अनियमितता को छुपाने हेतु अभिलेख एवं कागजात गायब कर तथ्य छुपाया गया। इन आरोपों में भी संचालन पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, जिला राजस्व शाखा, दरभंगा के पत्रांक 2438/रा0, दिनांक 03.12.10 के आधार पर गठित आरोप प्रमाणित पाये गये।

उपरोक्त दोनों विभागीय कार्यवाहियों में आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप श्री महतो से पुनः पत्र सं0 188/जि0पं0,दिनांक 10.02.14 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री महतो द्वारा उपरोक्त दोनों प्रपत्र 'क' के आरोपों के विरूद्ध द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण दिनांक 20.02.2014 को समर्पित किया गया। उक्त आरोंपो के स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि प्रथम विभागीय कार्यवाही के आरोपों के विरूद्ध समर्पित स्पष्टीकरण में स्वयं श्री महतो के द्वारा स्वीकार किया गया है कि 1995–96 की अग्रिम की राशि उन्होंने परिवार के भरण–पोषण में व्यय किये जो निलम्बन एवं विभागीय कार्रवाई के फलस्वरूप 09.02.2006 को अर्थात 10 वर्षों के बाद वापस प्रखण्ड नजारत में इनके द्वारा जमा किया गया अर्थात इनकें विरूद्ध सरकारी राशि का अस्थाई गबन का आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है जो बिहार राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के तहत गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

द्वितीय विभागीय कार्यवाही के आरोपों के विरूद्ध समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के स्पष्टीकरण में आरोपी श्री महतो द्वारा बताया गया है कि उन्हे पूर्व पंचायत सचिव श्री डोमू पासवान के द्वारा प्रभार में आरोप में उल्लेखित पंजियों एवं अभिलेखों का प्रभार मिला ही नहीं था, इसलिए जाँच पदाधिकारी को अभिलेख एवं पंजियों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि इस संबंध में पूर्व पंचायत सचिव, श्री डोमू पासवान द्वारा प्रभार सूची समर्पित किया गया है जिसमे श्री महतो को उक्त अभिलेख एवं पंजियाँ प्रभार में प्राप्त है, जिसपर श्री महतो का हस्ताक्षर है। अर्थात इस आरोप के विरूद्ध भी श्री महतो द्वारा कोई संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

फलस्वरूप यह आरोप भी पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में निहित प्रावधानों के तहत सरकारी सेवक के आचार का उल्लंघन है। इस प्रकार आरोपी कर्मी श्री महतो के विरूद्ध रिश्वत लेने के दौरान रंगे हाथ पकड़े जाने के विरूद्ध गठित प्रपत्र "क" के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं 03.02.14 को की गई सुनवाई, सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि परिवादी श्री राजा राम महतो, पे0 स्व0 जगदेव महतो, ग्राम–ततैला, थाना–कमतौल, प्रखंड–जाले, दरभंगा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आलोक में निगरानी विभाग की टीम द्वारा **'रिश्वत के माँग की सूचना'** के सत्यापनोपरान्त दिनांक 27.11.08 को पंचायत शिक्षिका, कुमारी मनीषा सिन्हा से उनके बकाया मानदेय भुगतान हेतु देय चेक के बदले 2000/– रूपये आरोपी पंचायत सचिव श्री महतो द्वारा रिश्वत लिया गया तथा वे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये। दूसरे प्रपत्र 'क' में श्री महतो द्वारा 25,000/–रू0 का अस्थायी गबन का आरोप तथा तीसरे प्रपत्र 'क' में जाँच पदाधिकारी को योजनाओं का अभिलेख एवं पंजी नहीं दिखाने अर्थात् अभिलेख छुपाने का आरोप भी पूर्णतः प्रमाणित होता है।

चूँकि शिक्षक को मानदेय भुगतान के बदले रिश्वत की माँग करना, सांसद/विधायक ऐच्छिककोष योजना अन्तर्गत वर्ष 1995–96 के विरूद्ध ली गई अग्रिम राशि से परिवार के भरण–पोषण में व्यय करना, जो निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई के फलस्वरूप 09.02.06 को अर्थात् 10 वर्षों के बाद सरकारी राशि प्रखंड नजारत में वापस जमा किया जाना तथा ग्राम पंचातय–कमतौल, प्रखंड–जाले के प्रभार में रहते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा जाँच के क्रम में नरेगा योजना, एकादश वित्त आयोग योजना का रोकड़ पंजी, अन्य योजना अभिलेख, पिछड़ा अनुदान योजना पंजी एवं कागजात गायब कर तथ्य छुपाना, इनकी व्यभिचार एवं कमजोर निष्ठा को दर्शाता है जो कि सरकारी सेवक के आचार के प्रतिकूल है। उनका ये कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में निहित सरकारी सेवक के आचार संबंधी प्रावधानों का गम्भीर उल्लंघन है तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो आरोपी को अधिकतम दण्ड का भागी बनाता है। फलस्वरूप इनके विरूद्ध रिश्वत लेने, सरकारी राशि गबन करने एवं अभिलेख/पंजियों को छुपाने के आरोपों के आलोक में इन्हें मात्र अधिकतम् दण्ड ही दिया जा सकता है।

अत : सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित विभागीय कार्यवाही में अंकित आरोपों तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने संबंधी आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के कारण **मैं कुमार रवि, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी–सह–जिलापदाधिकरी दरभंगा** श्री राम पुकार महतो, निलम्बित पंचायत सेवक–सह–पंचायत सचिव, प्रखंड–जाले को वृहत् दण्ड अधिरोपित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ। श्री महतो का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. नाम :— राम पुकार महतो

2. पिता का नाम :— स्व0 मधुरी महतो

3. पदनाम :— पंचातय सेवक—सह—पंचायत सचिव

4. जन्म तिथि :— 01.02.1956

5. नियुक्ति की तिथि :— 23.03.1990

6. वेतनमान :— 5200—20200

07. स्थायी पता :— ग्राम—माधोपुर, थाना—सिमरी, जिला—दरभंगा।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 251 /जि0पं0, लहेरियासराय, दिनांक 03 वीं ~~फरवरी~~, 2014।

प्रतिलिपि : रामपुकार महतो, पंचायत सेवक—सह—पंचायत सचिव, प्रखंड जाले को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, दरभंगा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला आई0टी0, मैनेजर को सूचनार्थ एवं जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/3/14
जिला दण्डाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 251 /जि0पं0, लहेरियासराय, दिनांक 03 वीं मार्च, 2014

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पंचायती राज विभाग/निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष, बिहार राज्य को सूचनाथ प्रेषित।

3/3/14

जिला दण्डाधिकारी,
—सह—
जिलाधिकारी, दरभंगा